1

[2022] 3 एस. सी. आर 1

ए.

एस. ओ. एम. डी. टी. टी. एंड ओ. आर. एस. बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 549) अप्रैल 04,2022

**[**संजीव खन्ना और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

परिवीक्षा-परिवीक्षा पर रिहाई-यू/एस के तहत तीन अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए अपीलार्थीगण।379 आर/डब्ल्यू एस।34 भारतीय दण्ड संहिता सी. और 3 महीने के एस. आई. की सजा-उच्च न्यायालय के समक्ष दायर संशोधन-खारिज-चुनौती-आयोजितःनीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों के साथ कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है-हालाँकि, अपीलार्थीगण ने अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ दिया।361 सीआरपीसी आर/डब्ल्यू एसएस।3 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, और प्रत्यर्थी (राज्य) ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की-अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958-ss।3 और 4-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।360 और 361 भारतीय दण्ड संहिता सी. -s.379 r/ws।34.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाःअपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा **3** और **4** अदालतों को उनमें उल्लिखित मामलों और परिस्थितियों में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधियों को रिहा करने का अधिकार देती है।इसी तरह**,** आई**.** डी**. 1** की धारा **360** और **361** भी अदालतों को इसमें उल्लिखित मामलों और परिस्थितियों में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधियों को रिहा करने का अधिकार देती है।इसलिए**,** भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **34** के साथ पठित धारा **379** के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण को निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को ध्यान में रखते हुए**,** और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है**,** अदालत उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ देने के लिए इच्छुक है।मामले के उस दृष्टिकोण में**,** अपीलार्थीगण पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखते हुए**,** यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा**,** प्रत्येक अपीलार्थी पर रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया जाएगा। **25, 000/-** समान राशि के मुचलके के

साथ**,** और तीन साल की अवधि के लिए शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करने पर**,** संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए।**[**पैरा **6] [3-**एफ**-**एच**; 4-**ए**-**बी**]** ए

जी.

एच.

1

2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.549।

2012 के आपराधिक संशोधन No.149 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 06.08.2021 के निर्णय और आदेश से।अरविंद गुप्ता, अमित सिंह चंदेल, डॉ. कमल यश सहवाल, मोहित बिधूड़ी, आशीष कुमार सिन्हा, जयनाथ साह, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।मनीष कुमार, विजय कुमार, सुश्री रिया सोनी, वी. के. शुक्ला, जयंत भट्टाचार्य, अंकित वर्मा, सुश्री अर्चना कुमारी, सुश्री शिवांगी सिंह, राहुल गुप्ता, शशांक शर्मा, सुश्री बीना, सुश्री साकेत गौतम, सतीश कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति बेला एम**.** त्रिवेदी

1. विशेष अवकाश दिया जाता है।

2. अपीलार्थीगण (मूल अभियुक्त) ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर 2012 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 149 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को खारिज कर दिया है।

3. अपीलार्थीगण-अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करसोग, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा 2009 के आपराधिक मामले संख्या 381 में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 379 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, और उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरने और 50,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था। 3000/- इसके चूक में, एक महीने के लिए और साधारण कारावास से गुजरना होगा, निर्णय और दिनांक 20.01.2012 के आदेश के अनुसार।उक्त निर्णय की पुष्टि करसोग में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, मंडी, शिविर द्वारा 2012 की आपराधिक अपील संख्या 11 में पारित 08.06.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा की गई थी।अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने 2012 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 149 को प्राथमिकता दी थी, जिसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

जी.

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 18.09.2008 पर, एक पुलिस दल डूंगरू नाला स्थान पर गश्त कर रहा था, जब एक लाल रंग की इंडिगो कार फेगल रोड से बिना किसी नंबर प्लेट के आई।गाड़ी को पुलिस दल ने रोक लिया।इसे मनोज कुमार उर्फ मनोज कौशल (आरोपी नं. 5 अब मृत), और बुला राम (आरोपी ए

एच.

3

एस. ओ. एम. डी. टी. टी. एंड ओ. आर. एस. बनामहिमाचल प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

नहीं।4) गाड़ी में बैठा था।यह पूछे जाने पर उन्होंने पुलिस दल को बताया कि वे गाड़ी के पीछे लाए जा रहे ट्रैक्टर के टायरों को फिर से बनाने के लिए सुंदरनगर जा रहे थे।एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौके पर पहुंची, जिसे दलीप कुमार (आरोपी नं.2); और सोम दत्त (अभियुक्त नं.1) और रंजन कुमार (अभियुक्त नं.3) वे ट्रैक्टर पर बैठे थे।अभियुक्त नं. 1 सोम दत्त ने पुलिस को बताया कि ट्रैक्टर उसका था और ट्रैक्टर के दस्तावेज आरोपी नं. 4 बुला राम। हालांकि, ट्रैक्टर और ट्रॉली के दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि पंजीकरण संख्या अलग-अलग थी। इसलिए आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 379 के तहत अपराध के लिए सभी पांचों अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान  दर्ज की गई। जाँच समाप्त हो जाने के बाद, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 379 के तहत अपराध के लिए सभी अभियुक्तों

के खिलाफ मामला चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि पहले कहा गया था।

5. यद्यपि अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश को चुनौती देने की मांग की थी, जिसमें अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि और दंडादेश को बनाए रखा गया था, हम अपीलार्थीगण को धारा 34 की धारा 379 के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए नीचे दिए गए तीन न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थे।हालाँकि, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि निचली अदालतों को अपीलार्थीगण के मामले पर विचार करना चाहिए था ताकि उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 के साथ पठित Cr.P.C की धारा 361 के तहत परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ दिया जा सके।इसलिए हमने उक्त निवेदन पर विचार करते हुए प्रतिवादी-राज्य को नोटिस जारी किया था।प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार ने हालांकि जवाब दाखिल किया है, लेकिन अपीलार्थीगण को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने का बहुत विरोध नहीं किया है।

6. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 अदालतों को उसमें उल्लिखित मामलों और परिस्थितियों में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधियों को रिहा करने का अधिकार देती है।इसी तरह, आई. डी. 1 की धारा 360 और 361 भी अदालतों को इसमें उल्लिखित मामलों और परिस्थितियों में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधियों को रिहा करने का अधिकार देती है।इसलिए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 379 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण पर निचली अदालतों द्वारा लगाई गई सजा को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, अदालत उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ देने के लिए इच्छुक है।इस मामले को देखते हुए,

जी.

एच.

अपीलार्थीगण पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा, प्रत्येक अपीलार्थी पर 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया जाएगा। 25, 000/- समान राशि के मुचलके के साथ, और तीन साल की अवधि के लिए शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए।यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थीगण उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं या उनके द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें निचली अदालत द्वारा दी गई सजा से गुजरने के लिए कहा जाएगा।

7. उपरोक्त निर्देशों के अधीन, अपील की अनुमति है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

जी.

एच.